

प्रेषक,

डॉ० राज शेखर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 19 फरवरी 2018

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं०-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 09 मार्गों के कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु०-1), कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं०-1425सी/338सी, दिनांक 11.05.17, पत्र सं०-22/पी०जे०-11, दिनांक 12.05.17, पत्र सं०-2282सी/368सी, दिनांक 25.08.17, पत्र सं०-4004सी/391सी, दिनांक 30.12.17, पत्र सं०-4115सी/335सी, दिनांक 09.01.18, पत्र सं०-4132सी/358सी, दिनांक 10.01.18 एवं पत्र सं०-4078सी/335सी, दिनांक 19.01.18 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन/प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **विभिन्न जनपदों के 09 मार्गों के कार्य हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार कुल लागत ₹० 6,63,13,000/- (रुपये छः करोड़ तिरसठ लाख तेरह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ कुल ₹० 3,68,23,000/- (रुपये तीन करोड़ अड़सठ लाख तेईस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं०-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मद से स्वीकृत/आवंटित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-**

(धनराशि ₹० लाख में)

क्र	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटन
1	2	3	4		
1	बिजनौर	चिडियापुर समीपुर एन०एच०-34 नहर सेवा मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।(अ०जि०मा०)	3.000	134.78	67.39
2	बिजनौर	बढ़ापुर रायपुर मार्ग के कि०मी० 4 से ढीकली से भाउवाला होते हुए दिसौलीवाला उर्फ सारंगवाला मार्ग की मरम्मत का कार्य।(ग्रा०मा०)	3.800	55.80	27.90
3	सहारनपुर	दिल्ली यमनौत्री मार्ग के कि०मी० 202 से कासमपुर स्टोर होते हुए फैजाबाद से जानीपुर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।मार्ग की चौड़ाई/क्रस्ट 3.00 मी०/16 सेमी०(ग्रा०मा०)	5.980	44.61	44.61
4	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर-झांझर मार्ग से खुर्जा वाया दस्तूरा संपर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।(ग्रा०मा०)	1.600	42.02	42.02
5	फैजाबाद	एन०एच०-28 मियां का पुरवा से डिलवल होते हुए दुल्लापुर उमापुर मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।(ग्रा०मा०)	5.650	66.61	26.64
6	संतकबीर नगर	नौरंगिया गोरयाभार से जिगिना सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।(अ०जि०मा०)	8.650	102.67	51.34
7	मथुरा	पैठा से आन्यौर सम्पर्क मार्ग का कार्य।(ग्रा०मा०)	1.650	55.49	27.75
8	वाराणसी	कैण्ट से लहुराबीर होते हुए मैदागिन मछोदरी पार्क राजघाट मार्ग का सतह सुधार का कार्य(चैनेज 2.73 से 3.43 तक)	0.700	79.04	39.52
9	मथुरा	रिफाइनरी रेलवे अन्डर पास से छडगोंव आबादी तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।(ग्रा०मा०)	1.75	82.11	41.06
		योग		663.13	368.23

- (1) प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

- (2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।
- (3) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा
- (4) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।
- (5) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2018 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2018 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।
- (6) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।
- (7) राज्य सड़क निधि हेतु गठित 50प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।
- (8) लागत का आकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर औचित्य का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।
- (9) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।
- (10) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (11) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापतियां एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय प्रथमतः चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05-राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा और अन्ततः लोक लेखे के "लेखाशीर्षक-8225-सड़क एवं सेतु निधि-02-राज्य सड़क एवं सेतु निधि-101-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क निधि" में डेबिट करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं0-58 के "भाग-4 के वसूलियों-लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण (8225)-29-अनुरक्षण" में जमा किया जायेगा।

भवदीय,

(डॉ० राज शेखर)
विशेष सचिव।

संख्या- रासनि(1)/23-1-18. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- 3- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
- 5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, 50प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
7. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
8. वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, 50प्र0 शासन, लखनऊ।
9. वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, 50प्र0 लखनऊ।
10. लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
अनु सचिव।